




INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature.....  
ACC Name-BHAGWAN DEEN YADAV  
ACC Code - UP 14348604  
ACC Address-28/1 Amd Square South Maka  
Licence No. - 120, Mob. 9389992370  
Tehsil-Sader, Prayagraj

Certificate No. : IN-UP28819878706235V  
Certificate Issued Date : 07-Feb-2023 06:00 PM  
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14348804/ PRAYAGRAJ SADAR/ UP-AHD  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1434880451409708052413V  
Purchased by : NISHITH VERMA SON OF LATE R N VERMA  
Description of Document : Article 4 Affidavit  
Property Description : AS PER THE DETAILS MENTIONED IN THE AFFIDAVIT  
Consideration Price (Rs.) :  
First Party : AS PER THE NAME MENTIONED IN THE AFFIDAVIT  
Second Party : NISHITH VERMA SON OF LATE R N VERMA  
Stamp Duty Paid By : NISHITH VERMA SON OF LATE R N VERMA  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 100  
(One Hundred only)



Please write or type below this line

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at [www.solidestamp.com](http://www.solidestamp.com) or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority



### Undertaking in the form of Affidavit

Before : Secretary/Authorized Authority Real Estate Regulatory Authority,  
Kala Kankar House, Old Hyderabad, Lucknow/whomsoever it may concern

शपथ-पत्र मिनजानिक सिटीजन हाउसिंग एण्ड डेवलपिंग को-आपरेटिव सोसायटी लिंग द्वारा सचिव  
श्री निशीय वर्मा पुत्र स्वर्ग आर०एन० वर्मा (अधिकृत हस्ताक्षरी) कार्यालय:- 1, एम०जी० मार्ग सिविल  
लाइन्स प्रयागराज-2110015

मैं शपथकर्ता उपरोक्त बहलफ निम्नलिखित बयान करता हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता NEW SUNCITY टाउनशिप के नाम से मौजा अन्दागां एवं बंधवाताहिरपुर, परगना झूंसी, तहसील फूलपुर जनपद प्रयागराज में प्लाटेड डेवलपमेंट परियोजना को विकसित किया जा रहा है एवं बतौर कन्सोर्टियम का सदस्य तथा अधिकृत हस्ताक्षरी शपथ-पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए सक्षम है।
2. यह कि प्रश्नगत ऊपर उल्लेखित परियोजना को उत्तर प्रदेश शासन की इन्ड्रीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2014 में निर्धारित प्रावधानों के तहत NEW SUNCITY टाउनशिप के नाम से विकसित किया गया है जिसका Project RERA Number-UPRERAPRJ16286 है प्रश्नगत नीति 2014 में परियोजना को विकसित किये जाने से सम्बन्धित समस्त प्रावधानों का उल्लेख है।
3. यह कि नीति के अनुसार परियोजना को पूर्ण किये जाने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत लाइसेंस के अनुसार परियोजना को पूर्ण करने को मियाद काल 04.05.2026 है जिसके विपरीत शपथकर्ता द्वारा ऐसा में परियोजना के पंजीकरण के समय मात्र चार वर्ष का समय लिया गया था परन्तु अपरिहार्य कारणों से इस समय सीमा को 1 साल के लिए दिनांक 14.02.2023 से 12.02.2024 तक विस्तारित किये जाने के लिए Uttar Pradesh Real Estate (Regulation and Development Rules) 2016 के नियम-7 के तहत Form-E पर नियमानुसार शुल्क की अदायगी कर आवेदन किया गया है जिसके समर्थन में यह Undertaking in the form of Affidavit निम्न अपेक्षित 11 बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है:-

(i) परियोजना को विकसित किये जाने का निर्गत लाइसेंस दिनांक 04/05/2026 तक निर्धारित है परन्तु विकासकर्ता द्वारा इस अवधि के पूर्व ही परियोजना को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए ऐसा में पंजीकरण के समय अवधि का चयन किया गया था जो दिनांक 14/02/2023 तक विधिमान्य है परन्तु परियोजना क्षेत्र में पड़ने वाली कतिपय श्रेणी के व्यूनतम क्षेत्रफल जिनको भूमि अर्जन एवं पुर्णग्रहण के माध्यम से भूमि जुटाव के तहत परियोजना में सम्मिलित किया जाना है का प्रस्ताव जिला प्रशासन के पास नीति के अनुसार प्रक्रिया गतिमान रहने के परिणामस्वरूप परियोजना आंशिक रूप से प्रभावित हुई है



RB

जिससे ऐसा में पंजीकृत मियाद काल को विस्तारित किये जाने से सम्बन्धित आवश्यकता उत्पन्न हुई है जिसके क्रम में ऐसा अधिनियम के तहत आवेदन जो नियम-7 के अधीन Form-E पर आनलाइन किया गया है जिसके साथ अपरिहार्य, तकनीकी एवं प्रशासनिक कारणों का उल्लेख करते हुए Explanatory Note संलग्न किया गया है जिसमें Compelling reasons for delay in completing the project का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है जो इस Undertaking का आवश्यक अंग होगा।

- (ii) बिन्दु संख्या-1 के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि लाइसेंस एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत अनुमति-पत्र के अनुसार परियोजना का मियाद काल 04.05.2026 तक है परन्तु शपथकर्ता इसके विपरीत पूर्ण में ऐसा में घोषित तिथि जिसके अनुसार अवधि दिनांक 14/02/2023 को समाप्त हो रही है को व्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 12/02/2024 तक विस्तारित किये जाने के लिए आवेदन किया गया है।
- (iii) परियोजना का लेआउट अनुमोदित है परन्तु भूमि जुटाव की प्रक्रिया में भू-अर्जन से सम्बन्धित लगभग 4000 वर्गमीटर का एक छोटा सा प्रस्ताव गतिमान है जिसके परिणामस्वरूप एवं अन्य स्वरूप में भूमि जुटाव से सम्बन्धित बदलाव होने के कारण स्वीकृत लेआउट में आंशिक रूप से परिवर्तन किया गया है योजना का अनुमोदित लेआउट Upload किया गया है।
- (iv) परियोजना प्लाटेड डेवलपमेंट से आच्छादित है इस प्रकार से Compounding Map का कोई प्रश्न परियोजना पर प्रभावी नहीं है।
- (v) परियोजना किसी भी व्यायालय के आदेश से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है।
- (vi) परियोजना का QPR नियमित रूप से अपलोड किया जाता है जिसके अनुसार ऐसा की वेबसाइट पर सारे आवश्यक विवरण अंकित है जहां तक आवंटियों से प्राप्त की गई धनराशि का प्रश्न है वह लगभग रु 7829 लाख है जिसके सम्बन्ध में CA Certificate संलग्न है।
- (vii) परियोजना लगभग अन्तिम चरण में है 95 प्रतिशत से अधिक भूमि जुटाव एवं DPR के अनुसार विकास कार्य पूर्ण हो चुका है परियोजना स्थल पर कब्जा व दखल की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के साथ-साथ Association of allottees का गठन कर लिया जायेगा।
- (viii) परियोजना में आवंटियों के हक में कब्जा व दखल की प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है न ही इस प्रकार की कोई संस्था का पंजीकरण ही हुआ है जिसको बिन्दु संख्या-7 के अनुसार गठन किया जाना है इसलिए इस स्तर पर Association of allottees से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने कोई बिन्दु विहित नहीं है।
- (ix) परियोजना को विकसित किये जाने हेतु विकासकर्ता के पास उपलब्ध प्रोजेक्ट लैण्ड जो कि लाइसेंस एरिया का लगभग 95 प्रतिशत से अधिक है में DPR के milestone के अनुसार विकास कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिसकी सूचना




प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पास उपलब्ध करवाई गई है एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरण (P.D.A) भी शासन को त्रैमासिक रिपोर्ट भेजी जाती है शेष बचे न्यूनतम योजना क्षेत्रफल हेतु भूमि जुटाव की प्रक्रिया जो कि कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज में गतिमान है जिसके निर्धारित प्रारूप Form-10A (Certificate of status showing sufficient fund available for the project) के अनुसार ₹0 2.25 करोड़ की धनराशि विकासकर्ता द्वारा प्रावधानित है।

- (x) परियोजना को उक्त विस्तारित मियाद काल के भीतर पूर्ण किये जाने हेतु Activity Wise Timeline to Complete the Project के शीर्षक के साथ विस्तृत तालिका इस Undertaking के साथ संलग्न है।
- (xi) परियोजना को अनुमोदित लेआउट के आधार पर विकसित किया गया है जिसका विकास कार्य लगभग-लगभग पूर्ण हो चुका है परन्तु जैसा कि Undertaking in the form of Affidavit में भू-अर्जन से सम्बन्धित प्रस्ताव का जिक्र है मात्र उतने क्षेत्रफल पर परियोजना को विकसित किया जाना है इसके अतिरिक्त परियोजना प्लाटेड डेवलपमेंट पर आधारित है इस प्रकार से भवन निर्माण से जुड़ा कोई बिन्दु परियोजना में विहित नहीं है।

4. यह कि शपथकर्ता परियोजना के मियाद काल विस्तारित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र Form-E के समर्थन में इस Undertaking in the form of Affidavit को प्रस्तुत किया जाता है।
5. यह कि इस Undertaking in the form of Affidavit के समर्थन में मुबलिग ₹0 100/- का ई-स्टाम्प अदा किया गया है जिसका ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र संख्या IN-UP28819878706235V दिनांक 07.02.2023 है।

मैं शपथकर्ता उपरोक्त बहलफ तसदीक करता हूँ कि शपथ-पत्र की धारा 1 लगायत 3 एवं धारा 3 के उपच्छण्ड तथा धारा 4 एवं 5 मेरी निजी जानकारी में सत्य व सही है इसमें न कोई तथ्य छिपाया गया है न कोई झूठ है।

ईश्वर मेरी मदद करें।



शपथकर्ता

SOLEMNLY AFFIRMED before me  
On ..... at AM/PM by Mr  
/Smt. ....  
Identified by .....  
Advocate to be his/her Affidavit if are  
true and Correct which is here by  
verified and attested  
SI. No. ....  
R.B. Singh  
Advocate/Notary  
Prayagraj

R.B. Singh  
Advocate/Notary  
Prayagraj

**FORM 'E'**  
[See Rule 7 (1)]

**APPLICATION FOR EXTENSION OF REGISTRATION OF PROJECT**

**From**

**CITIZEN HOUSING & DEVELOPING CO-OPERATIVE SOCIETY LTD** through  
Secretary and Authorized representative **Mr. Nishith Verma**  
**Place of Business :-**Sahyog Bhawan, I M.G. Marg Civil Lines, Prayagraj

To,

**The Real Estate Regulatory Authority,**  
Naveen Bhavan, Rajya Niyojan Sanshtan,  
Kala Kankar House, Old Hyderabad,  
Lucknow-226007

Sir,

We hereby apply for renewal of registration of the following project:

New Suncity Integrated Township Project situated at Mauja Andhawa & Bandhwatahirpur Pargana Jhunsi, Tehsil Phoolpur, District Prayagraj registered with the regulatory authority vide Project registration certificate bearing No. UPRERAPRJ16286, which expires on 14-02-2023.

As required we submit the following documents and information, namely:-

- (i) An online payment has been made on the RERA website with Transaction Ref No. IGAPAIFJC1 and Transaction ID UPRERA2136116242436 as extension fee as provided under sub-rule (2) of rule 7.
- (ii) Authenticated Plan of the project showing the stage of development works undertaken till date; (*enclosed according to which over 90% required development works having completed*).
- (iii) Explanatory note regarding the status of development works in the project and declaration submitted in Form 'B' at the time of making application for the registration of the project (*Copy of Explanatory note as required under rule 7 of The Uttar Pradesh Real Estate (Regulation and Development Rules) 2016 is Annexed herewith*)
- (iv) Authenticated copy of the permission/approval from the competent authority which is valid for a period which is longer than the proposed term of extension of the registration sought from the regulatory authority; (*permission valid up to 04-05-2026, Photo Copy of license and approval letter from PDA enclosed*)
- (v) The original project registration certificate (enclosed)
- (vi) Any other information as may be specified by regulations.

**Enclosed as above.**



**Explanatory Note**  
**(Compelling reasons for delay in completing the Project)**


(In respect of New Suncity Integrated Township Project situated at Mauja Andhawa & Bandhwatahirpur Pargana Jhunsi, Tehsil Phoolpur, District Prayagraj as required under rule 7 of The Uttar Pradesh Real Estate (Regulation and Development Rules) 2016 required to be provided during applying for Extension of the Project on Form "E".)

The said project is developed under Uttar Pradesh Integrated Township Policy 2014 which provides complete mechanism of developing such a project and the process thereof. The policy stipulates directions and processes for various stages of the process such as Issuing of License, Approval of D.P.R., Approval of Layout and Other Administrative support required to be provided to promoters while executing such a project. In this regard please allow us to draw your kind attention towards article 5 of said Integrated Township Policy; which pertains to issue of land assembly and other relevant matter of Gram Sabha Land, Urban Ceiling Land etc.

As per the policy the project is required to be completed within 8 (EIGHT) years of issuance of license according to which in the present project the valid limitation to complete the project is up to 04-05-2026 as the license was issued on 04-05-2018. However while making application for registration of project with U.P. RERA Authority the promoter reduced the said development period from 8 years to 4 years under impression that they will not face any delays at the level of the statutory authorities during the course of land assembly and other relevant issues of land such Gram Sabha Land, Urban Ceiling Land etc. which is required to be allotted to the promoters by the way of resumption, allotment, land acquisition. Moreover, Prayagraj Development Authority through Vice-chairman has in its letter dated 13.08.2020 ref number 162/Pra. Aa. (T.C.)/V. Pra. / 2020 has specifically recommended to District Magistrate, Prayagraj towards land acquisition.

Even with the aforementioned delay from the District Administration, the Promoters have managed over 96% land assembly required for the project through negotiations with land owners in the license area; development of the project over this project is has been largely completed and current project photos have been annexed as well. However, there are 3-4 small parcels totaling 4723 Sq.Mt. or approximately 1.17 Acre have to be acquired by adopting land acquisition proceedings through Prayagraj Development Authority / District Administration, this application is pending before the relevant authorities since long. We have been following up with relevant authorities over a considerable period of time and have even recently written to Hon' Chairman UP RERA on 1.11.2022 about the matter.

It is also desirable to bring in your cognizance that during the execution of any large project normally some Gram Sabha Land, Urban Ceiling Land etc. Normally also fall under the required lands for the project; in the present case there are certain small pockets of land under Gram Sabha and Urban Ceiling category etc. That are included within the license area. In this regard under provisions made in the policy taking into the consideration relevant government orders the promoters through lead member made stipulated representation before the District administration for resumption & allotment of those lands as per policy, However in spite of all possible efforts the matter is still pending for conclusion. We are hopeful that all these aspects pertaining to land assembly are likely to be completed soon. Additionally, as detailed above the license period under the policy and as per the terms of approval from Prayagraj Development Authority is valid up to 04.05.2026.



Taking in to consideration the aforementioned legal grounds the said project completion period which is expiring on 14-02-2023 may be extended for further period of one year up to 12-02-2024 as much which is permissible under rule 7 and the legal principle laid down by the Hon' Bombay High Court in the case of Neelkamal Realtors and others Vs Union of India and others.

**Financial Plan** - As per the land acquisition application made by the Promotors total area of land required be acquired is 4723 Sq.Mt. or approximately 1.17 Acre. A certificate of status showing the sufficient funds available for the acquisition is made in the prescribed Form 10(A) before the District. Magistrate, Prayagraj in the application for acquisition. Total financial requirement is approximately 2.25 Crore, for which sufficient funds are available with the promotors.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. P. S." or a similar variation.

Please refer point 35 on page 4  
of this approval/Sanction letter

## प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

पत्रांक :02/प्र0प्र0(त0स0) / जोन-5/ इन्टीग्रेटेड/ वि0प्रा0/ 2020-21 दिनांक : 27/02/2021

### अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित तलपट मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री अनुभव वर्मा, डायरेक्टर, अभ्यान बिल्डकॉन प्रा0लि0 लीड मेम्बर, न्यू सनसिटी कन्सोर्षियम मौजा-अन्दौवा एवं मौजा-बन्धवॉ ताहिरपुर, परगना झूंसी, तहसील-फूलपुर, जनपद प्रयागराज के जोन संख्या (5) के अन्तर्गत प्रस्तावित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 के तहत लाईसेन्स प्राप्त न्यू सनसिटी टाउनशिप के तलपट मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष, प्र0वि0प्रा0 द्वारा दिनांक 18-02-2021 को निर्मांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है :—

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 540 अद्द वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक/विकासकर्ता का होगा।
5. रेनवाटर हार्डस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराते हुए भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
6. भवन का निर्माण कार्य भूकम्परोधी मानकों पर ही करना होगा, भवन की संरचना एवं सुरक्षा एवं गुणवत्ता का दायित्व आवेदक/विकासकर्ता कम्पनी का होगा।
7. भवन का निर्माण कार्य स्ट्रक्चरल मानकों पर करना होगा।
8. स्वीकृत D.P.R एवं तलपट मानचित्र के अनुसार आन्तरिक विकास कार्य के अन्तर्गत रोड, सीवर, पार्क, विद्युत, वाटर लाईन, इलेक्ट्रिक कार्य, नालियॉ एवं क्रॉसिंग, कूड़े घर आदि का निर्माण विकासकर्ता कम्पनी को स्वयं करना होगा।
9. बन्धक रखी गयी भूमि पर स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्राधिकरण द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक/विकासकर्ता कम्पनी की होगी।
10. प्रस्तुत भू-विन्यास मानचित्र में सृजित किये भूखण्डों का उपविभाजन निषिद्ध होगा।

11. O.D.R मार्ग से योजना को जाने वाले 30 मीटर चौड़ी सड़क की भूमि की व्यवस्था विकासकर्ता को स्वयं करनी होगी, जिस हेतु विकासकर्ता द्वारा भू-स्वामी से अप्डर टेकिंग एवं आबादी के परिवार रजिस्टर तथा भूखण्ड के खसरे की प्रति दी गयी है। इस हेतु दिये गये शपथ पत्र (30AE559317 दिनांक 19.01.2021) का अक्षरशः अनुपालन बाध्यकारी होगा।

12. उ0प्र0 में भू-संपदा (विनियम) अधिनियम 2016 शासन की अधिसूचना संख्या-1458/ 8-3-16-65विविध/2016 दिनांक 28.10.2016 लागू हो चुका है, अतएव प्रोजेक्ट को 'रेस' अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत करना होगा एवं उ0प्र0 भू-संपदा (विनियम) अधिनियम में निर्धारित नियम एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

13. आवेदक/विकासकर्ता कम्पनी द्वारा दिये गये शपथ पत्र (CF 470008, CF 470007 दिनांक 18.01.2021) के शपथ संख्या-1 से 12 तक का अक्षरशः अनुपालन बाध्यकारी होगा।

14. इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 (लाईसेन्स आधारित प्रणाली) में दिये गये सभी शर्तों/मानकों का अनुपालन नीति के अनुसार करना आवश्यक है। प्रोजेक्ट में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 में निहित नियमों/शर्तों के अधीन निस्तारण किया जायेगा।

15. विकास कार्यों में लेबर एक्ट, नेशनल सेफ्टी काउंसिल के प्राविधानों का पालन करना होगा।

16. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-2 लखनऊ के शासनादेश संख्या-996/ एफ-1- 2-2003 दिनांक 02.07.2003 में निर्देश दिये गये हैं कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-4787/2001 हिंच लाल तिवारी बनाम कमला देवी में पारित आदेश दिनांक 25.07.2001 के प्रस्तर-1 के अनुसार राजस्व अभिलेखों में जिस भूमि का अंकन तालाब के रूप में है, उसे तालाब के स्वरूप में रखा जाय और उपयोगी बनाया जाय।

17. ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के पुर्नग्रहण एवं विनियम हेतु सामान्य सिद्धान्तों के निर्धारण हेतु उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ से जारी शासनादेश सं0-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 के अनुच्छेद 5(6) व 5(11) में दिये गये प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा, इस हेतु आवेदक/विकासकर्ता कम्पनी द्वारा दिये गये शपथ पत्र (CF 855089 दिनांक 18.02.2021) का अक्षरशः अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।

18. रिट याचिका (सी) 13029/1985 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में शासनादेश संख्या-1220/आठ-3-19-23विविध/2016 दिनांक 04 नवम्बर, 2019 के प्राविधानानुसार निर्माण गतिविधियों से उत्सर्जित धूल तथा वायु प्रदूषण के प्रभावी रोक-थाम हेतु निम्नवत् व्यवस्था की जाय :-

- निर्माण सामग्री को निर्धारित स्थलों पर ढक कर रखा जाय तथा समुचित प्रकार से पानी का छिड़काव किया जाय।
- निर्माण सामग्री को लाने व ले जाने वाले वाहनों के टायरों/बॉडी की भली-भांति धुलाई की जाय तथा निर्माण सामग्री को ढक कर ले जाया जाय।
- निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से जनित अपशिष्ट को निर्धारित स्थल तक ढक कर ले जाया जाय तथा सड़कों के किनारे अनियंत्रित रूप से एकत्रित न किया जाय।

19. प्रोजेक्ट में 498 आवासीय भूखण्ड सृजित किये गये हैं, स्वीकृत आवासीय भूखण्डों के सापेक्ष 10-10% ie. अर्थात् 50-50 EWS/LIG श्रेणी के फ्लैटों का निर्माण बाध्यकारी है। प्रोजेक्ट में इन श्रेणी के फ्लैटों के निर्माण हेतु कम्पनी/विकासकर्ता द्वारा 56-56 EWS/LIG श्रेणी के फ्लैटों का निर्माण भूतल+3 तल पर अलग ब्लाक के रूप में प्रस्तावित किया गया है। आवेदक/विकासकर्ता कम्पनी को भूखण्डीय विकास के साथ-साथ अनुपातिक रूप से EWS/LIG श्रेणी के फ्लैटों का निर्माण कराना होगा। EWS/LIG श्रेणी के फ्लैटों का आवंटन प्रभावी शासनादेश के प्रावधानानुसार ही होगा।
20. ले-आउट में निर्धारित एरिया में पार्क का विकास कार्य अनिवार्य रूप से करना होगा एवं पार्क में कोई स्थायी/अस्थायी निर्माण अनुमत्य नहीं होगा।
21. स्वीकृत प्रोजेक्ट में सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत नर्सरी/प्राईमरी स्कूल, चिकित्सा सुविधा, आंगनबाड़ी केन्द्र, सामाजिक सुविधा, व्यवसायिक काम्पलेक्स के मानचित्र पृथक रूप से स्वीकृत कराने होंगे।
22. सृजित आवासीय भूखण्ड 498 के भूखण्ड धारकों को प्रयागराज विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र नियमानुसार स्वीकृत कराना होगा।
23. प्राधिकरण एवं मेसर्स अभ्यान बिल्डकॉन प्रा०लि० थू डायरेक्टर अनुभव वर्मा के मध्य निष्पादित विकास अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों 1 लगायत 22 में निहित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन बाध्यकारी होगा।
24. इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के प्रस्तर-11.1 के अनुसार आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य किये जाने के मद में प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखी जाने वाली 20 प्रतिशत भूमि (11577.00 वर्गमी.) विकासकर्ता द्वारा विशिष्टियों के अनुरूप जैसे-जैसे विकास कार्य पूर्ण किये जायेंगे, उसी अनुपात में बन्धक रखी गयी भूमि विकासकर्ता के पक्ष में अवमुक्त की जायेगी। विकासकर्ता को परफार्मेन्स गारन्टी के प्रस्तर-11.1 का अक्षरशः अनुपालन बाध्यकारी होगा।
25. EWS/LIG भवनों के निर्माण के परफार्मेन्स गारन्टी के रूप में भूमि बन्धक रखी जानी है। आवेदक/विकासकर्ता कम्पनी द्वारा लाईसेन्स निर्गत किये जाने की प्रक्रिया में विकासकर्ता कम्पनी द्वारा क्षेत्रफल 10267.83 वर्गमी. अर्थात् 2.537 एकड़ भूमि बन्धक रखी गयी है। EWS/LIG भवनों के निर्माण के लिये परफार्मेन्स गारन्टी के रूप में कोई पृथक भूमि बन्धक नहीं रखी जा रही है, बल्कि पूर्व में लाईसेन्स की प्रक्रिया में बन्धक रखी गयी भूमि यथावत् प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रहेगी। बन्धक रखी गयी भूमि को विकसित किये जाने का अधिकार विकासकर्ता का होगा, परन्तु उस पर निर्भित/सृजित किसी सम्पत्ति का विक्रय प्राधिकरण से उक्त भूखण्ड अवमुक्त होने के उपरान्त ही किया जाय।
26. प्राधिकरण/शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा प्राधिकरण द्वारा भविष्य में यदि बढ़े विकास शुल्क अथवा त्रुटिवश या भूलवश गणना में छूटे अन्य किसी शुल्कों को आरोपित कर मॉग की जाती है तो वह शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।
27. प्र०वि०प्रा० द्वारा भू-स्वामित्व का निर्धारण नहीं किया जाता है और न ही मानचित्र की स्वीकृति से भू-स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्राप्त होता है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण स्वामित्व सम्बन्धी विवाद का निस्तारण करने वाली संस्था/अभिकरण नहीं है। भविष्य में भू-स्वामित्व के सम्बन्ध में सक्षम स्तर/राज्य सरकार/न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा, आवेदक पर बाध्यकारी होगा।

28. राज्य पर्यावरण प्राधिकरण (SEIAA) के कमेटी SEAC की 494वीं बैठक की कार्यवृत्त संलग्न की गयी है, जिसके RESOLUTION AGAINST AGENDA NO-08 की टिप्पणी निम्नवत् है "The committee discussed the matter and recommended to grant the environmental clearance for the above project proposal along with general conditions as earlier prescribed by authority for construction project and following specific conditions:" (पतांकित) उक्त के दृष्टिगत विकासकर्ता कम्पनी को पर्यावरण (SEIAA) की अनापत्ति अनिवार्य रूप से अतिशीघ्र उपलब्ध करानी होगी।

29. विद्युत कनेक्शन एवं ट्रान्सफार्मर स्थापना पर होने वाले व्यय की जिम्मेदारी आवेदक/विकासकर्ता कम्पनी की होगी। विकासकर्ता के आवंटियो/भूखण्ड-धारकों को व्यक्तिगत कनेक्शन PuVVNL से प्राप्त करना होगा।

30. भविष्य में यदि स्वामित्व के बिन्दु पर किसी न्यायालय द्वारा डीड निरस्त की जाती है या अन्य किसी विवाद के कारण स्वामित्व पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है तो स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त (बिना किसी कारण बताओ नोटिस के) कर दिया जायेगा। मानचित्र की स्वीकृति से भौमिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

31. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

32. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।

33. उपर्युक्त शर्तों को पूर्ण करने तथा मानचित्र की प्रति प्राप्त करने के उपरान्त ही मानचित्र स्वीकृत माना जायेगा। Conditions से Material/Substantial विचलन की स्थिति में प्रस्ताव स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा इस आधार पर की गयी समस्त कार्यवाहियाँ अकृत एवं शून्य समझी जायेगी।

34. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे कम्पनी को जमा करना होगा।

35. यह स्वीकृति इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार लाईसेन्स निर्गमन से 08 वर्षों की अवधि के लिए है।

36. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

37. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

  
अधिशासी अभियन्ता/  
प्रभारी अधिकारी (त०स०)



## Allahabad Development Authority, Allahabad

(7<sup>th</sup> /8<sup>th</sup> Floor, Indira Bhawan, Civil Lines, Allahabad)

### GRANT OF LICENSE

From,

**The Vice-Chairman**  
Allahabad Development Authority  
Allahabad.

To,


M/s Abhiyaan Buildcon Pvt. Ltd.  
Lead Member – through Director Anubhav Verma  
New Suncity Consortium  
Sahyog Bhawan, 1 MG Marg, Civil Lines  
Allahabad

Ref. No :02/O.C (T.C-1) Integrated/ Dev Auth/2016-17 Dated 04 May, 2018  
**Sub: Grant of License for development of an Integrated Township on 25 acres of land at Mauja Andawa & Mauja Bandwa Tahirpur, Pargana Jhunsi, Tehsil Phoolpur District Allahabad, Uttar Pradesh**

With reference to your application No 10191 dated 21/09/2016, this license is granted under the Integrated Township Policy issued vide Government Order No. 520/8-3-14-37 Vividh/13, dated 4<sup>th</sup> March, 2014 (as amended from time to time) for development of an Integrated Township on 25 acres of land at Mauja Andawa & Mauja Bandwa Tahirpur, Pargana Jhunsi, Tehsil Phoolpur District Allahabad, Uttar Pradesh.

2. The particulars of the land and its location on Shajra plan wherein the aforesaid township is to be set up are given in the schedule annexed hereto and duly signed by the Competent Authority.
3. This license is granted subject to the condition that the proposed township shall conform to the terms and conditions of Development Agreement to be executed between the Applicant and the Authority.
4. The license shall be valid till completion of the project unless cancelled earlier.
5. The license may be cancelled if at any time/stage, it comes to the notice of the Authority that:
  - (a) A false/material misrepresentation has been made by the Applicant.
  - (b) The Applicant has been debarred by any Central or State Government Agency from Carrying out real estate activity in the country/state.
  - (c) The Applicant has been convicted by any Court of Law for any of the offences under any governing laws relating to criminal omission or conviction in property construction/development operation activities regarding which a case has been registered against him/her by a public authority.
  - (d) The Applicant had defaulted in complying with the milestones laid down in the Policy.

Enclosure: As above

  
(Bhanu Chandra Goswami)  
Vice-Chairman

## Current Photos of Development at Site (UP RERA No UPRERAPRJ16286)



## UPRERA - Transaction Status

Status:	SUCCESS	Transaction Ref No.:	IGAPAFJC1
Transaction Date & Time:	2023-01-24 19:07:45	Transaction Amount	1032000
Transaction Status:	SUCCESS	Status Description:	

Transaction ID: UPRERA2136116242436

Transaction Amount 1032000

Transaction Ref No.: IGAPAFJC1

Transaction Date &amp; Time:

2023-01-24 19:07:45

Status Description:


Dated .....

Form — 5	
<b>CHARTERED ACCOUNTANT'S CERTIFICATE</b>	
(FOR THE PURPOSE OF WITHDRAWL OF MONEY FROM DESIGNATED ACCOUNT OF PROJECT)	
Information as on <u>31/12/2022</u>	
Certification work Assigned vide letter No.- <u>NSC /DEC/19</u>	Dated :- <u>12/01/2023</u>

**Subject:** Certificate of amount incurred by NEW SUNCITY CONSORTIUM for Integrated township of Plotted development- license Area 25 Acres situated on assorted Khasra no./Plot No.Mauja Andawa & Mauja Bandawa Tahirpur Pargana Jhunsi, Tahsil Phoolpur, Distt Prayagraj , demarcated by its boundaries (latitude and longitude of the end-points)25.42 to the North, 25.42 to the South, 81.95 to the East 81.95 to the West of Village - Mauja Bandawa Tahirpur and Mauja Andawa, Jhunsi, Tehsil Phoolpur Competent Authority Prayagraj Development Authority, Prayagraj District Prayagraj, PIN 211019, admeasuring license area 25 Acres area, being developed by Citizen Housing and Dev. Co-op Soc. Ltd for New Suncity Consortium **having RERA Registration No .-UPRERAPRJ16286** , Designated A/C No.-02262320001578 Bank Name-HDFC Bank, Civil Lines, Prayagraj

S.No.	Particulars	Rs.in lacs	G
		Total Cost Estimated	Amount incurred (actual out-flow) till now
1	2	3	4
1	<b>Land Cost</b> (a) Acquisition cost of land (purchase or through agreement with land owner) and legal costs on land transaction; Cost incurred towards land aquistion by other members of the consortium (b) Amount payable to obtain development rights, additional FAR, City development charges, Shelter Fees and any other incentive under Local Authority or State Government or any Statutory Authority, if any; (c) Acquisition cost of TDR (Transfer of Development Rights), if any; (d) Amounts payable to State Government or competent authority or any other statutory authority of the State or Central Government towards stamp duty, transfer charges, registration fees etc. (if not included in para (a) above); (e) Interest (Other than Penal Interest , Penalties etc) paid to FI , Scheduled Banks , NBFC and on money borrowed for purchase of land and also to ,Competent Authority, Bank Guarantee.	7383.15 529.09 560.71 100.00	7605.58 [2733.06] 489.44 309.35
	<b>SUB TOTAL LAND COST (in Rs.)</b>	<b>8573.0</b>	<b>8404.37</b>


S.No.	Particulars	Total Cost Estimated	Amount incurred (actual out-flow) till now
		3	4
1	2	3	4
2	<b>Project Clearance Fees</b> (a) Fees paid to RERA (b) Fees paid to Local Authority (c) Consultant/Architect Fees (directly attributable to project) (d) Any other (specify) -Total Station Survey, Soil testing, plain table survey,wetting from REC, Other structural test, DPR, Environment Impact Study (e) Marketing Promotion & Commission	5.11 40.00 10.00 200.00	5.14 31.95 9.15 206.83
	<b>SUB TOTAL FEES PAID (in Rs.)</b>	<b>255.11</b>	<b>253.07</b>



3A	<b>Cost of Development And construction</b> (a) Cost of services (water, electricity to construction site) , Site Overheads;+ (b) External Development Charges (c) Internal Development Charges (d) Depreciation cost of machinery and equipment purchased, or hired and maintenance costs, consumables etc., (so long as these costs are directly incurred in the construction of the concerned project); (e) Cost of material actually purchased; (f) Cost of <b>Salary and Wages</b> (excluding cost of salaries of employees of the company not directly attached to project); (g) Site office construction	1315.22 1112.88 10.00 60.00 10.00	1211.28 10.15 112.15 10.00
	<b><i>Sub Total of Construction Cost (in Rs.) (sum of (a) to (d) of Row 3a )</i></b>	2508.10	1343.58
3B	<b>Cost of construction incurred (As Certified by Project Engineer)</b>	2515.00	1340.55
3C	<b>Total Construction Cost (Lower of 3A and 3B.)</b>	2508.10	1343.58
3D	<b>Interest (Other than Penal Interest and Penalties etc.) paid to Financial Institution , Scheduled Banks , NBFC and Unsecured Loan at "SBI-MCLR" on money borrowed for construction)</b>	0	0
3	<b>TOTAL DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION COST (Row 3C +3D)</b>	2508.10	1343.58
4	<b>TOTAL COST OF PROJECT (Row 1+ Row 2+ Row 3)</b>	11336.2	10001.02
5	Percentage completion of Construction Work completed (as per Project Engineer, Architect's Certificate)	88.19	
6	Percentage completion of Total project (Proportionate cost incurred on the project to the total estimated cost) ( Col.4 of row 4 / Col.3 of row 4 )%	88.22	
7	Total amount received from allottees till date since Inception of the Project (in Rs.)	7829.27	
8	70% Amount to be deposited in Designated Account (0.7*Row 7)	5480.49	
9	Cummulative Amount that can be withdrawn from Designated a/c, i.e. <b>(Total Estimated Cost * Proportionate Cost Incurred on the Project)</b> (Column 3 of Row 4 * row 6 )	10001.02	
10	Amount actually withdrawn till date since inception of the project ( This shall include 70% of the amounts already realised till date but not deposited in the designated Account )	7803.98	
11	Balance available in Designated A/c.	25.29	
12	Amount that can be withdrawn from the designated Bank A/C under this certificate <b>(Row 9 – Row 10)</b>	2197.04	

This certificate is being issued on specific request of M/s Citizen Housing & Developing Co Operative Society Ltd on behalf of New Suncity Consortium for UP RERA compliance. The certification is based on the information, valuation certificates from registered valuer and records produced before us/me and is true to the best of our/my knowledge and belief.

Signature of Chartered Accountant with seal  
Manish Kumar Deorah  
(Membership Number-108708)



Dated .....

**FORM – REG - 5**


**ANNUAL REPORT ON STATEMENT OF ACCOUNTS To CITIZEN HOUSING & DEVELOPING CO OPERATIVE SOCIETY LTD**

**SUBJECT :** Report on Statement of Accounts on project fund utilization and withdrawal by **Citizen Housing & Developing Co Operative Society Limited** for the period from **01/04/2021** to **31/03/2022** with respect to UPRERA Regn. No **UPRERAPRJ16286**

1. This certificate is issued in accordance with the provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 ( herein referred as Act ) read along with the Uttar Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2016 ( herein referred as Rules ).
2. I/We have obtained all necessary information and explanation from the Company, during the course of our audit, which in my/our opinion are necessary for the purpose of this certificate.
3. I/We hereby confirm that I/We have examined the prescribed registers, books and documents, and the relevant records of **Citizen Housing & Developing Co Operative Society Limited** for the period ended **31/03/2022** and hereby certify that:
  - i. M/S. **Citizen Housing & Developing Co Operative Society Limited** have completed 88.22 % of the project titled **Citizen New Suncity** UP RERA Regn. No.**UPRERAPRJ16286** located at Mauja-Andawa & Mauja- Bandawa Tahirpur, Pargana-Jhunsi, Tehsil-Phulpur , Prayagraj-211019
  - ii. Amount collected during the year for this project is **Rs 1096.92 Lacs**
  - iii. Amount withdrawn during the year for this project is **Rs. 1067.03 Lacs**
4. I/We certify that the **Citizen Housing & Developing Co Operative Society Limited** has utilized the amounts collected for **Citizen New Suncity** project only for that project and the withdrawal from the designated separate bank account(s) of the said project has been in compliance with the proportion to the percentage of completion of the project as mentioned under Section 4 (2)(l)(D) of the Act.

(If not, please specify the amount withdrawn in excess of eligible amount or any other exceptions).

Place : **Prayagraj**  
Date : **24/01/2023**



(Signature and Stamp/Seal of the Signatory CA)  
Name of the Signatory : Manish Kumar Deorah  
Full Address : 17/23, Kamla Nehru Road,  
Manmohan Park, Prayagraj-211002  
Membership No.: 108708  
Contact No. :9415215880  
E mail : manishdeorah@gmail.com

## Upload Annual Report

Upload Annual Report on Statement of Accounts

Welcome : CITIZEN HOUSING AND DEVELOPING COOPERATIVE SOCIETY

### Upload Annual Report on Statement of Accounts

 Max Upload Size Should be not more than 5 MB! Only PDF files are allowed for upload.

Upload Annual Report on Statement of Accounts of the Project as provided in third Proviso of Section 4(2)(i)(D) of THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 2016 along with certificate in FORM -REG -5 as provided under UTTAR PRADESH REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY (GENERAL) REGULATIONS, 2019

Select Registered Project\*

NEW SUNCITY

Upload Document\*

No file selected.

Show 10 entries

S.no.	Promoter Name	Project Name	Upload_date	View Document
1	CITIZEN HOUSING AND DEVELOPING COOPERATIVE SOCIETY	NEW SUNCITY	30-04-2019	<input type="button" value="View Details"/>
2	CITIZEN HOUSING AND DEVELOPING COOPERATIVE SOCIETY	NEW SUNCITY	07-06-2021	<input type="button" value="View Details"/>
3	CITIZEN HOUSING AND DEVELOPING COOPERATIVE SOCIETY	NEW SUNCITY	07-06-2021	<input type="button" value="View Details"/>
4	CITIZEN HOUSING AND DEVELOPING COOPERATIVE SOCIETY	NEW SUNCITY	24-01-2023	<input type="button" value="View Details"/>

Showing 1 to 4 of 4 entries

1

Search:



The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 is an Act of the Parliament of India which seeks to protect home-buyers as well as help boost investments in the real estate industry. The Act came into force from 1 May 2016.

### Quick Links

- > [Home](#)
- > [About](#)
- > [Career](#)
- > [Legal](#)
- > [Downloads](#)
- > [Contact Us](#)

### Social Links

- > [Facebook](#)
- > [Google](#)
- > [Twitter](#)
- > [LinkedIn](#)
- > [Youtube](#)

### Circulars & Notices

- > [Agreement For Sale/Lease](#)

[2. Order For CA, Architect, Engineer Certificate](#)

[2. Order For Project Registration & Editing](#)

[2. SOP For Complaint Redressal](#)

[2. Click For More Notices...](#)

**CITIZEN HOUSING & DEVELOPING CO OPERATIVE SOCIETY LIMITED**  
**PROJECT NAME- CITIZEN NEW SUNCITY**

S/No.	Particulars	Description	End Date
1	Demarcation of Plots	95% development work completed, remaining works in 5% area to be acquired will be completed in the extended timeline.	31/07/2023
2	Sewer System		15/08/2023
3	Drain		30/08/2023
4	Road Work		15/11/2023
5	Footpaths		15/01/2024

hull

प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को भेजे जाने वाली इन्हींटेंड टाउनशिप के विकास कार्य की त्रैमासिक रिपोर्ट

इन्हें टेक्ट वाउचरिंग से सम्बन्धित परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की यूनियन के सम्बन्ध में।